



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/अधि.अभि.-9/2021-22/डी- 315

दिनांक:- 22/09/2021

बिड संशोधित सूचना

अधिशायी अभियन्ता, जोन-9, जविप्रा, जयपुर द्वारा बिड संख्या EE-9/09/2021-22 आमंत्रित की गई थी। जो दिनांक 13.09.2021 से 22.09.2021 बेची जाकर दिनांक 24.09.2021 को खोली जानी थी। उक्त निविदा में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी वर्क परफोरमेंस गारन्टी से सम्बन्धित आदेश क्रमांक प. 01(24) नविवि/1/2020 लूज दिनांक 20.09.2021 (संलग्न) का समावेश किया जाना है।

अतः उक्त निविदा प्राप्त करने की दिनांक 22.09.21 के स्थान पर दिनांक 29.09.21 तक बढ़ाई जाकर दिनांक 01.10.2021 को खोली जायेगी। निविदा का पूर्ण विवरण एवं अन्य शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी।


अधिशायी अभियन्ता-9
जविप्रा, जयपुर।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक:- प.01(24)नविवि / 1/2020 लूज

जयपुर, दिनांक:- 20 SEP 2021

आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अर्न्तगत विभिन्न विकास कार्यों की निविदाओं में संवेदकों द्वारा बी.एस.आर. दर से कम दर डालने पर अन्तर राशि (AT PAR की दर से जितनी कम है) वर्क परफोरमेंस गारन्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ली जाएगी तथा इसे कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात दोष निवारण अवधि में कार्य की स्थिति सन्तोषजनक पाए जाने पर, दोषनिवारण अवधि उपरान्त वापस लौटा दिया जावेगा। न्यूनतम दरदाता की बोली नियमानुसार स्वीकृत कर Letter of acceptance (LOA) जारी किया जावेगा एवं बी.एस.आर. दर से कम दर की अन्तर राशि की BG/FDR/NSC प्रस्तुत करने हेतु 14 दिवस का समय दिया जायेगा। अन्तर राशि जमा नहीं कराने पर BID SECURITY की राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावे। यदि संवेदक वर्क परफोरमेंस गारन्टी राशि जमा कराने के पश्चात कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करता है अथवा दोष निवारण अवधि में कार्य में खराबी होती है तो उसकी वर्क परफोरमेंस गारन्टी की राशि जब्त कर ली जावे एवं अनुबन्धानुसार अन्य कार्यवाही भी संपादित की जावे। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं। यह आदेश उन सभी निविदाओं पर लागू होगा जो कि भविष्य में जारी होगी तथा वे निविदाएं जो इस आदेश के जारी होने की दिनांक तक अप्राप्त हैं, इस सम्बन्ध में निविदा दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन तुरन्त संबन्धित उपापन अधिकारी द्वारा किया जावे एवं नवीन सभी निविदाओं में उक्त शर्तों का समावेश किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

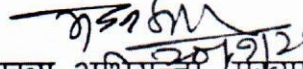
यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(कुन्जीलाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, आबू, बाडमेर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं सवाईमाधोपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
नगरीय विकास विभाग